(14)

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-37/2004-05

मो0 हफीज साह वगैरह

वनाम

ईस्लाम साह वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 16/6/2020

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मु0 हफीज साह, पे0–स्व0 मोहम्मद साह वो वीवी सीतारा, पति–मु0 हफीज साह, सा0–कंचनपुर, थाना–बलबड्डा, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने यह अपीलवाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0–07/2003–04 मो0 हफीज साह वनाम गफूर साह में दिनांक–12.08.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0–07/2003–04 में दिनांक–12.08.2001 को पारित आदेश गलत एवं नियम के विरूद्ध है। प्रश्नगत जमीन उनकी पैतृक सम्पति है। जमाबंदी रैयत लखु फकीर उर्फ लखू शाह थे। वे अपने पिछे तीन पुत्र क्रमशः इताबुल शाह, मकबूल साह वो मोहम्मद शाह को छोड़कर दिवंगत हुए। मकबूल शाह नावल्द फौत कर गए। एक मात्र मोहम्मद शाह अपने पैतृक चल एवं अचल सम्पति पर दखलकार हुए। मोहम्मद शाह भी अपने पीछे तीन पुत्र मो0 जमाल शाह, मो0 हफीज शाह वो युनुस शाह को छोड़कर फौत कर गए। मो0 जमाल शाह वो मो0 युनुस शाह भी कुँवारा अवस्था में नावल्द फौत कर गये। इस प्रकार उपरोक्त जमाबंदी की सम्पूर्ण जमीन पर एक मात्र मो0 हफीज साह (अपीलकर्त्ता) वास्तविक उत्तराधिकारी की हैसियत से हकदार व दखलकार हुए। इस आधार पर उनके द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल आर0ई0आर0 केश नं0–07/2003–04 स्वीकृत किया जाना चाहिए था। परन्तु प्रतिपक्ष के गलत कागजात एवं वंशावली को आधार मानते हुए इसे स्वत्व मामला मानते हुए प्रक्रिया संचिकास्त करने का नियम के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जबकि

उत्तरवादी को प्रश्नगत जमीन पर कोई हक नहीं बनता है। वे गैर जमाबंदी रैयत है। उनके वंशावली को समक्ष न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। यह मामला पूर्णरूपेण उच्छेदी का है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता को जमाबंदी रैयत का एक मात्र उत्तराधिकारी होने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–12.08.2004 को पारित आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं नियम संगत है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–926 दिनांक–29.08.2018 से प्रेषित प्रतिवेदन गलत एवं स्वीकृत करने लायक नहीं है। सही में उत्तरवादी ही प्रश्नगत जमीन का वैध उत्तराधिकारी है। वे दखलकार रहकर मामगुजारी रसीद कटा रहे है। अपीलकर्त्ता मूल रूप में पश्चिम बंगाल के रैयत है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा दिनांक–21.12.2012 को निर्गत पारिवारिक प्रमाण पत्र को गलत तरीके से रद्द किया गया है। दोनों पक्षकार जमाबंदी रैयत लखु फकीर के वंशज होने का दावा करते है। यह मामला टाईटल का है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0–07/2003–04 में दिनांक–12.08.2004 को पारित आदेश सही एवं न्यायोचित है। यह अपील स्वीकृत करने लायक नहीं है। उत्तरवादी ने आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के बहस सुनने एवं अभिलेख का अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता की ओर से निम्न न्यायालय के समक्ष संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20, 42 एवं 69 के तहत आवेदन पत्र दाखिल कर प्रतिपक्ष (उत्तरवादी) द्वारा उनकी पैतृक सम्पति अवैध रूप से दखल–कब्जा करने के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर जमीन वापस कराने का निवेदन किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–12.08.2004 को पारित आदेश में स्वत्व (Title) का मामला मानकर प्रक्रिया को संक्षिकारस्त कर दिया गया है। इस स्तर से अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–926/रा0 दिनांक–29.08.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी जमीन का जमाबंदी रैयत लखु

फकीर है। अपीलकर्त्ता हफीज साह, वल्द मोहम्मद साह जमाबंदी रैयत का पोता है। इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तरवादी ईसलाम साह वगैरह का जमाबंदी रैयत से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। वे बाहरी व्यक्ति है। गलत एवं अवैध रूप से अपीलकर्त्ता की पैतृक सम्पति हड़पना चाहते है जो कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 का स्पष्ट उल्लंघन का मामला बनता है। ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा "टाईटल" का मामला प्रतीत होने का कथन नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार यह अपीलवाद स्वीकार योग्य है। विद्वान सरकारी वकील के द्वारा भी अपीलवाद स्वीकृत करने का अनुशंसा की गई है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0–07 / 2003–04 में दिनांक–12.08.2004 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। एस0पी0टी0 एक्ट की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरवादी ईसलाम साह वगैरह को प्रश्नगत मौजा–शाहीचक नं0–360, जमाबंदी नं0–51, दाग नं0–85, रकवा–00–10–01 (दस कट्ठा एक धुर) एवं मौजा–कंचनपुर, जमाबंदी नं0–62, दाग नं0–429, रकवा--00–03–16 (तीन कट्ठा सोलह धुर) एवं दाग नं0–430 रकवा–00–05–05 (पाँच कट्ठा पाँच धुर) भूमि से उच्छेद करते हुए यह अपीलवाद स्वीकृत किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता मो0 हफीज साह को दखल–कब्जा दिलाकर अविलम्ब अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16/6/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

16/6/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

DV NO. 35
04/07/2020

Seen by
K.P. Yadav
27/6/2020

27/6/20

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:46:02 +05:30
Location: 192.168.29.32